न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—382/2012/223(2012/00047)

1. चन्दरसिंह पुत्र प्रेमसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम फतेह की पोल कालींजर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती केली देवी पत्नि किशनसिंह, जाति रावत, नि0 कालींजर फतेह की पोल, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती फुटरी देवी पत्नी मिठूसिंह, जाति रावत, निवासी दौलतगढ़ सिंगा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. तहसीलदार, ब्यावर ।
4. उप पंजीयक, ब्यावर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर , दिनांक 2.2.2012 अंतर्गत वाद संख्या 60/2009.

उपस्थितः—

1. श्री समीर अहमद खान, वकील अपीलांट ।
2. श्री श्रीनिवास बेनीवाल, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3 व 4.

निर्णय

दिनांकः—18.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 2.2.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 में ग्राम कालींजर, भू0अ0नि0 राजियावास तहसील ब्यावर स्थित आराजी खसरा नंबर 2591/1, 2590/1 एवं 2588/1 बाबत् वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 2591/1 में 5/16 हिस्सा तथा 2588/1 में 1/2 हिस्सा है जिसका अब तक विभाजन नहीं हुआ है । विभाजन के अभाव में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य कमती ज्यादा भूमि को लेकर विवाद होता रहता है । प्रतिवादी संख्या 1 ने उसके हिस्से के 1/2 हिस्से के विपरीत खसरा नंबर 2590/1 की संपूर्ण आराजी पर दिनांक 11.5.2009 को बाउण्ड्रीवाल बनवाना प्रारंभ कर दिया है । अतः वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार कर यह घोषित किया जावे कि आराजी नंबर 2591/1, 2590/1 तथा 2588/1 में वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का खसरा नंबर 2591/1 में 3/16 हिस्सा तथा 2590/1 में 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का आराजी नंबर 2591/1 में 5/16 हिस्सा तथा खसरा नंबर 2588/1 में 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है, यथानुसार नक्शे में तरमीम की जावे व वादी के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी व

हस्तातंरण आदि नहीं करे तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 पंजीयन व नामांतकरण आदि नहीं करे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बिना विभाजन के चारदीवारी का निर्माण नहीं करे । अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट का वाद स्वीकार कर दिनांक 29.7.2010 को प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् अधी0न्याया0 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार, ब्यावर से सीमाकंकन बंटवारा किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त कर दिनांक 2.2.2012 को अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 2.2.2012 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि जब उन्होंने प्राथमिक रूप से वादी/अपीलांट का वाद डिक्री किया था तो उसमें उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री में बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने बाबत् अंकन किया था तथा तहसीलदार से कुरेजात रिपोर्ट मंगवाई थी किन्तु तहसीलदार ने स्वंय मौके पर न जाकर हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की जो स्पष्टतया अधी0न्याया0 के आदेशों की अवहेलना की है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उसी रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 को नियम 18 से 21 राज0काश्त0अधि0 नियम 1955 के अनुसार ही रिपोर्ट प्राप्त कर अंतिम डिक्री पारित करनी चाहिये थी । रेस्पो0 ने मिलीभगत कर कुरेजात रिपोर्ट पटवारी से तैयार करवाकर भिजवाई है जिसके आधार पर अंतिम डिक्री पारित नहीं की जा सकती है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 2.2.2012 निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 2.2.2012 की पूर्व में प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि प्रार्थी इस विश्वास में था कि न्यायालय के निर्णय की पालना में तहसीलदार स्वंय मौके पर आयेंगे तथा मौके पर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पक्षकारान की उपस्थिति में डोल पाल आदि करवायेंगे । अपीलांट की उपस्थिति में कोई कोई विभाजन प्रस्ताव नहीं बनवाया गया किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 13.5.2012 को नीवं खोदना प्रारंभ किया व निर्माण बाबत् इच्छा जाहिर की अप्रार्थी ने प्रार्थी को बताया कि अब बंटवारा हो गया है तत्पश्चात् अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर प्रकरण की जानकारी चाहने पर अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री की जानकारी हुई । इसके उपरांत अपीलांट ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांट को यदि कुरेजात रिपोर्ट से कोई आपत्ति थी तो उन्हें अधी0न्याया0 के समक्ष ऐतराज पेश करने चाहिये थे जो नहीं किये गये है। अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधि0 का

निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र 500/—रू0 की कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है। अपीलांट कोस्ट की राशि अधिवक्ता रेस्पो0 को दिये जाने के आदेश दिये जाते है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट का वाद स्वीकार कर दिनांक 29.7.2010 को प्राथमिक डिक्री पारित करने के आदेश पारित किये तथा तहसीलदार, ब्यावर को कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये थे । अधी0न्याया0 के उक्त निर्देशों की पालना में तहसीलदार ने पटवारी हल्का से कुरेजात रिपोर्ट तैयार करवाकर अधी0न्याया0 को प्रेषित की तथा अधी0न्याया0 ने पटवारी हल्का द्वारा तैयार कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद में दिनांक 2.2.2012 को अंतिम डिक्री पारित की है । पत्रावली पर ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को सूचित किया गया हो । अधी0न्याया0 द्वारा प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट नियम 18 से 21 राज0काश्त0अधि0 नियम 1955 की मंशा के विपरीत होने से इसके आधार पर पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 2.2.2012 खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेंषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 2.2.2012 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार, ब्यावर को निर्देशित करे कि उभयपक्ष को सूचित कर तहसीलदार स्वंय मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर नियम 18 से 21 राज0काश्त0अधि0 नियम 1955 की पालना करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः अंतिम डिक्री व निर्णय पारित करे । पक्षकारान दिनांक 15.4.2019 को अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 18.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर